

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 28.10.2022 को घोषित)

- 1— आरोपीगण के विरुद्ध जुआ एक्ट की धारा-13 के अंतर्गत अपराध के आरोप लगाये गये हैं।
- 2— आरोपीगण ने आरोपित अपराध स्वेच्छयापूर्वक करना स्वीकार किया है। आरोपीगण के द्वारा की गई स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है एवं प्रकरण में अन्य कोई प्रतिकूलता न होने से आरोपीगण को जुआ एक्ट की धारा-13 के अंतर्गत अपराध के आरोप में क्रमशः रुपये 100-100/-रुपये (एक-एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपीगण के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर उन्हें 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 3— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति में से 845/-रुपये (आठ सौ पैंतालीस रुपये मात्र) राजसात् किये जाकर कोषालय में जमा किए जाएँ एवं शेष जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट किए जाएँ।

दिनांक:-28.10.2022

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

स्थान :-सिवनीमालवा।

(साहंगी दुग्गल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिवनीमालवा, जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.)

(साहंगी दुग्गल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिवनीमालवा, जिला नर्मदापुरम्(म.प्र.)

